फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 10.11.2024

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री **एश्वर्या उपाध्याय** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 192/24 धारा 103/238/3(5)/61(2) बीएनएस व 3(2)(v) SC/ST एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नीलकंठ उर्फ गुरू उर्फ सोमनाथ भारद्वाज पुत्र राकेश भारद्वाज उर्फ लाला निवासी मो0 रकाबगंज खुर्द थाना मऊदरवाजा जिला फर्रुखाबाद को दिनांक 09.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर नमस्ते इंडिया दूध डेयरी हथियापुर के पास से समय 22.05 बजे गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

1. नीलकण्ठ उर्फ गुरु उर्फ सोमनाथ भारद्वाज पुत्र राकेश भारद्वाज उर्फ लाला निवासी मोहल्ला रकाबगंज खुर्द थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद उम्र 25 वर्ष

घटना का संक्षिप्त विवरण: दिनांक 11.09.2024 को वादी श्री सूरजपाल जाटव पुत्र जदुनाथ जाटव निवासी रकाबगंज खुर्द थाना मऊदरवाजा ने थाना मऊदरवाजा पर प्रार्थना पत्र दिया था कि दिनांक 05.09.2024 की शाम को उसका पुत्र पिन्कू उम्र 15 वर्ष तिकोना तिराहे स्थित राकेश भारद्वाज उर्फ लाला की परचून की दुकान पर काम करने गया था और उसके बाद से घर वापस नहीं आया फिर अगली सुबह दिनांक 06.09.2024 को समय 10.15 बजे उसका शव हैवतपुर गढ़िया के पास नाले से मिला जिसकी हत्या राकेश भारद्वाज उर्फ लाला व उसके बेटों ने मिलकर कर दी है । उक्त प्राप्त तहरीरी सूचना पर दिनांक 11.09.2024 को ही थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0सं0 192/24 धारा 103/238/3(5)/61(2) बीएनएस व 3(2)(v) SC/ST एक्ट बनाम बनाम 1. गुरु पुत्र राकेश भारद्वाज 2. राकेश भारद्वाज पुत्र नामालूम निवासीगण मोहल्ला रकाबगंज खुर्द थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद 3. अन्य अज्ञात पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री एश्वर्या उपाध्याय के द्वारा की जा रही है, विवेचना से अभियोग में अभि0 नीरज पुत्र राकेश भारद्वाज उर्फ लाला निवासी मोहल्ला रकाबगंज खुर्द थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद का नाम प्रकाश में आया था जिसमें अभि0 राकेश भारद्वाज उपरोक्त को दिनांक 13.09.2024 को मृतक पिन्कू की हत्या में प्रयुक्त बोरी व स्कूटी के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा चुका है । अन्य अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु तलाश के क्रम में नामित वांछित अभि0 नीलकण्ठ उर्फ गुरु पुत्र राकेश भारद्वाज उर्फ लाला निवासी मोहल्ला रकाबगंज खुर्द थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद को थाना मऊदरवाजा पुलिस के द्वारा दिनांक 09.11.2024 की रात्रि को मुखबिर की सूचना पर नमस्ते इंडिया दूध डेयरी हथियापुर के पास से समय 22.05 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त नीलकण्ठ उर्फ गुरु उर्फ सोमनाथ भारद्वाज पुत्र राकेश भारद्वाज उर्फ लाला निवासी मोहल्ला रकाबगंज खुर्द थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा उपरोक्त प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाया जा रही है ।

पूछताछ विवरण अभियुक्त उपरोक्त:-अभियुक्त नीलकण्ठ उर्फ गुरु उर्फ सोमनाथ भारद्वाज उपरोक्त ने पूछताछ करने पर अपने किये गये जुर्म की माफी मांगते हुए कहा, मेरे पिता जी को पुलिस ने पहले ही पिन्कू की हत्या में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था इसलिये मैं अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिये छिपा हुआ था लेकिन आप लोगो ने मुझे भी पकड़ लिया है जो भी कहना होगा वो मैं अपने वकील के जरिये न्यायालय में कहूंगा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नीलकण्ठ उर्फ गुरु उर्फ सोमनाथ उपरोक्तः-

1.मु०अ0सं- 192/2024 धारा 103/238/3(5)/61(2) बीएनएस व 3(2)(v) SC/ST Act थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़

अन्य थाना जात से जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिसः

1. थानाध्यक्ष श्री बलराज भाटी
2. उ0नि0 श्री नितिन कुमार
3. का0 नितिन कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़